प्रेस विज्ञप्ति

नकली आईएसआई मार्क लगे पैकेज बंद पेयजल (PDW) बीआईएस द्वारा छापा

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) , राजकोट के अधिकारियों की एक टीम द्वारा पैकेज बंद पेयजल पर आईएसआई मार्क के दुरुपयोग की जांच के लिए 24 जनवरी 2017 पर राजकोट जिले के मावडी क्षेत्र में एक प्रवर्तन खोज और जब्ती अभियान चलाया। प्रवर्तन छापा राजकोट जिले के 3 महादेव वाडी, उमाकांत पंडित उद्योग नगर स्थित मेसर्स केयर ड्रिंकिंग वाटर प्रा.लि. के परिसर पर मारा गया, जहां बिना वैध लाइसेंस के पैकेज बंद पेयजल पर केयर ब्रांड के अंतेगत आईएसआई लगाया जा रहा था। छापे के दौरान संबंधित फर्म से भारी मात्रा में आईएसआई मार्क लगा पैकेज बंद पेयजल जब्त किया गया।

उपरोक्त इकाई के पास वैध लाइसेंस नहीं होने के बावजूद भी उनके द्वारा अपने उत्पाद पर आईएसआई मार्क लगाया जा रहा था। जब कि खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के तहत पैकेज बंद पेयजल का उत्पाद बिना आईएसआई लाइसेंस के नहीं किया जा सकता। यह कार्यवाही भारतीय मानक ब्यूरो, राजकोट द्वारा बीआईएस अधिनियम, 1986 के तहत उलंघनकर्ताओं के खिलाफ की जा रही है। इस अधिनियम के तहत उलंघनकर्ता को एक साल की कैद अथवा 50000/- जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।

यह देखा गया है कि उत्पादक आर्थिक फायदे के लिए अपने उत्पाद पर नकली आईएसआई मार्क लगाकर आम ग्राहकों को बेच रहे हैं। ग्राहकों से अनुरोध है कि वे कोई भी आईएसआई मार्क लगा उत्पाद खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता बीआईएस की वेबसाइट www.bis.org.in पर जांच लें।

आम जनमत से निवेदन है कि उनके सामने आईएसआई मार्क के दुरूपयोग का मामला सामने आने पर राजकोट शाखा प्रमुख, भारतीय मानक ब्यूरो, एफपी नं. 364 / पी, वार्ड नं. 13 कालावड रोड, क्रिस्टल मॉल के सामने, भारत पेट्रोल पम्प के बगल में, राजकोट-360005 को सूचित करें या इसकी शिकायत ई-मेल rjbo@bis.org.in या hrjbo@bis.org.in या दूरभाष संख्या 0281-2536981 पर भी की जा सकती है। शिकायतकर्ता की जानकारी गोपनीय रखी जायेगी।